

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2016—माघ 7, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच (12).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ए-3-13-2015-पांच (17), दिनांक 31 मार्च 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (3) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द “जो वातानुकूलित नहीं है” का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 27 जनवरी 2016 से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2015-1-पांच (12), दिनांक 27 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 27th January 2016

No. F-A-3-13-2015-1-V (12).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-13-2015-1-V(17), dated 31st March 2015, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said notification, in the Schedule, in column (3),—

- (a) in clause (a), the words “and is not air-conditioned” shall be omitted.
- (b) clause (b) shall be omitted.

2. This amendment shall come into force from the date 27th January 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
DIPALI RASTOGI, Secy.